

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक-1144/नि०शा०/2021-22

दिनांक-06-8-2021.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2021/796/17-1002(099)/3/2021 दिनांक 28.07.2021(प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख (रू० चौबीस करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (134) पर अंकित है।

भवदीय
(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक— /नि०शा०/2021-22

दिनांक— 06-8-2021.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2021/796/17-1002(099)/3/2021 दिनांक 28.07.2021(प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख (रू० चौबीस करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (134) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1144 / नि0शा0 / उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक— /नि०शा०/2021-22

दिनांक— 06.08.2021.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2021/796/17-1002(099)/3/2021 दिनांक 28.07.2021(प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख (रू० चौबीस करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (134) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1144 / नि0शा0 / उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक— 1144 / नि०शा० / 2021-22

दिनांक— 06-8-2021.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2021/796/17-1002(099)/3/2021 दिनांक 28.07.2021(प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/महिला लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 2440.1762 लाख (रू० चौबीस करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (134) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा शर्मा)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1144 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-04/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-FISH SEEDS HATCHERY FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन

01 -

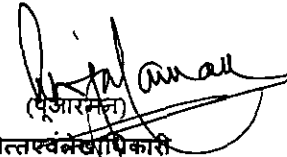
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-
 महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 6432000	900000 6432000
2	बुलन्दशहर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 2400000	900000 2400000
3	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 2400000	900000 2400000
4	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 3408000	900000 3408000
5	रामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 2400000	900000 2400000
6	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	900000 6936000	900000 6936000
7	आजमगढ़-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1800000 5808000	1800000 5808000
8	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	1800000 1800000	1800000 1800000
9	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --07-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराजनगर	वर्तमान प्रगामी	900000 2904000	900000 2904000
10	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 10968000	900000 10968000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10800000 45456000	10800000 45456000

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया एककरोड़आठलाख

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया चारकरोड़चौवनलाखछप्पनहजार


 (वित्तस्वन्नेत्राधिकारी)
 वित्तस्वन्नेत्राधिकारी

complete

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-04/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-REARING TALAB NIRMAN FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
 महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

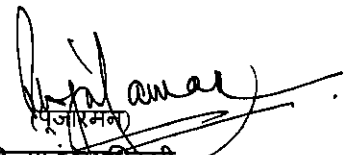
(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मुजफ्फरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	176400 2990400	176400 2990400
2	बुलन्दशहर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 2652000	252000 2652000
3	अलीगढ़-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 504000	504000 504000
4	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	844200 3244200	844200 3244200
5	मैनपुरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 504000	504000 504000
6	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	189000 693000	189000 693000
7	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	140620 1148620	140620 1148620
8	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --22-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	126000 126000	126000 126000
9	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 3912000	504000 3912000
10	मुरादाबाद-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --19-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	756000 756000	756000 756000
11	पीलीभीत-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	149940 653940	149940 653940
12	रामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 3408000	1008000 3408000
13	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	756000 756000	756000 756000

14	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	252000 1260000	252000 1260000
15	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --11-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	315000 840000	315000 840000
16	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --12-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	252000 672000	252000 672000
17	आजमगढ़-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	252000 6060000	252000 6060000
18	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	252000 2184000	252000 2184000
19	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 3696000	1008000 3696000
20	हरदोई-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	466200 1243200	466200 1243200
21	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	252000 252000	252000 252000
22	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	252000 1260000	252000 1260000
23	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	100800 100800	100800 100800
24	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 2772000	252000 2772000
25	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1512000 12600000	1512000 12600000
26	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	756000 756000	756000 756000
27	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 1260000	252000 1260000
28	अमरोहा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 252000	252000 252000
29	चित्रकूट-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 504000	504000 504000
	योग	वर्तमान प्रगामी	12840160 57060160	12840160 57060160

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया एककरोड़अठाईसलाखचालीसहजारएकसौसाठ

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया पाँचकरोड़सत्तरलाखसाठहजारएकसौसाठ


 पूजा रमन
 वित्त एवं लेखाधिकारी
 complete

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-04/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-NAYA TALAB NIRMAN FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-
 महिलाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मुज़फ्फरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	861340 3557740	861340 3557740
2	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	504000 3024000	504000 3024000
3	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	255020 255020	255020 255020
4	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --20-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	226800 226800	226800 226800
5	बुलन्दशहर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	498960 1650960	498960 1650960
6	अलीगढ़-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	201600 705600	201600 705600
7	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2727400 4471600	2727400 4471600
8	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	693000 1386000	693000 1386000
9	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1265800 2414420	1265800 2414420
10	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 2916000	504000 2916000
11	मुरादाबाद-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	149180 149180	149180 149180
12	शाहजहांपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	100800 100800	100800 100800
13	पीलीभीत-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 1661940	1008000 1661940
14	रामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	451080 2359080	451080 2359080

15	फर्रुखाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	456120 960120	456120 960120
16	इटावा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	446040 446040	446040 446040
17	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	705600 2721600	705600 2721600
18	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --25-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - कानपुरदेहात	वर्तमान प्रगामी	1552060 2056060	1552060 2056060
19	फतेहपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	607820 607820	607820 607820
20	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	680400 1436400	680400 1436400
21	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --16-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	579600 579600	579600 579600
22	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	917280 2177280	917280 2177280
23	हमीरपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1370380 1370380	1370380 1370380
24	बाँदा -2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	378000 1386000	378000 1386000
25	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	781200 2293200	781200 2293200
26	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --11-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	63000 378000	63000 378000
27	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --12-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	976000 1228000	976000 1228000
28	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	504000 8568000	504000 8568000
29	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1562400 3074400	1562400 3074400
30	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	3712720 9148720	3712720 9148720
31	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	718200 718200	718200 718200
32	आजमगढ़-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	403200 3463200	403200 3463200
33	आजमगढ़-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --15-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	201600 201600	201600 201600
34	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	992120 1496120	992120 1496120
35	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	504000 2268000	504000 2268000
36	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --03-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	1298050 1298050	1298050 1298050
37	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2031120 4047120	2031120 4047120

38	हरदोई-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	646380 1112580	646380 1112580
39	लखीमपुरखीरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4025200 4025200	4025200 4025200
40	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	126000 378000	126000 378000
41	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	2520000 3780000	2520000 3780000
42	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --05-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	326090 326090	326090 326090
43	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	3031060 4831060	3031060 4831060
44	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --07-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराजनगर	वर्तमान प्रगामी	1058400 2462400	1058400 2462400
45	बहराइच-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2041200 2041200	2041200 2041200
46	ललितपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1713600 1713600	1713600 1713600
47	गाजियाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	378000 378000	378000 378000
48	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2822900 12290900	2822900 12290900
49	सिद्धार्थनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	81140 81140	81140 81140
50	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	491400 592200	491400 592200
51	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2842560 5614560	2842560 5614560
52	संतरविदासनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	73330 4609330	73330 4609330
53	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2761660 15361660	2761660 15361660
54	चन्दौली-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	756760 1260760	756760 1260760
55	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	325080 1081080	325080 1081080
56	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2091100 3351100	2091100 3351100
57	कौशाम्बी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 252000	252000 252000
58	श्रावस्ती-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	651420 1155420	651420 1155420
59	अमरोहा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	104830 356830	104830 356830
60	चित्रकूट-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 1008000	504000 1008000

	योग	वर्तमान प्रगामी	60512000 144866160	60512000 144866160
--	-----	--------------------	-----------------------	-----------------------

महायोग- (वर्तमानआवंटन):-

रुपया छः करोड़पाँचलाखबारहहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):-

रुपया चौदहकरोड़अड़तालीसलाखछियासठहजारएकसौसाठ

(प्रचारमन्त्री)

वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

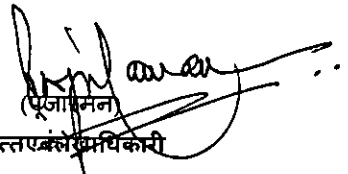
आवंटनदिनांक-04/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-KHARE JAL ME NAYA TALAB NIRMAN FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	अलीगढ़-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	140230 845830	140230 845830
2	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	587200 587200	587200 587200
3	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	140230 1526230	140230 1526230
	योग	वर्तमान प्रगामी	867660 2959260	867660 2959260

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया आठलाखसठहजारछः सौसाठ
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया उन्तीसलाखउनसठहजारदोसौसाठ


(प्रजापति)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

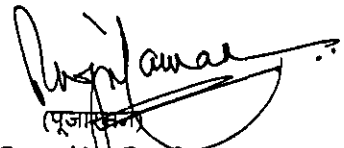
आवंटनदिनांक-04/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-KHARE JAL ME TALAB NIRMAN PRATHAM VERSH NIVESH
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिलाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	अलीगढ़-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	105200 951030	105200 951030
2	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1686700 2273900	1686700 2273900
3	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	105200 1631430	105200 1631430
4	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	262900 1343980	262900 1343980
	योग	वर्तमान प्रगामी	2160000 6200340	2160000 6200340

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया इक्कीसलाखसाठहजार
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया बासठलाखतीनसौचालीस


(पूजाकुमार)
वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-04/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-LARGE RAS BIOFALAK FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
 महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

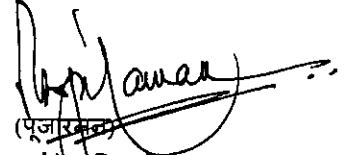
S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 7512000	1080000 7512000
2	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1800000 4824000	1800000 4824000
3	बुलन्दशहर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 4230960	1080000 4230960
4	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 3353900	1080000 3353900
5	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 6551600	1080000 6551600
6	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 3494420	1080000 3494420
7	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 5496000	1080000 5496000
8	शाहजहांपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 1180800	1080000 1180800
9	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --25-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - कानपुरदेहात	वर्तमान प्रगामी	1080000 3136070	1080000 3136070
10	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 3257280	1080000 3257280
11	हमीरपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 2450380	1080000 2450380
12	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 3373200	1080000 3373200

13	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2160000 10728000	2160000 10728000
14	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 4154400	1080000 4154400
15	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1080000 11728720	1080000 11728720
16	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 1798200	1080000 1798200
17	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1800000 3296120	1800000 3296120
18	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	1800000 4488000	1800000 4488000
19	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --03-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	2160000 3458050	2160000 3458050
20	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 6807120	1080000 6807120
21	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1080000 4860000	1080000 4860000
22	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	2160000 6991060	2160000 6991060
23	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --07-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराजनगर	वर्तमान प्रगामी	1080000 5042400	1080000 5042400
24	बहराइच-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 3121200	1080000 3121200
25	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 14870900	1080000 14870900
26	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2160000 2752200	2160000 2752200
27	सोनभद्र-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 7632000	1080000 7632000
28	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 6694560	1080000 6694560
29	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 16441670	1080000 16441670
30	अम्बेदकरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 2088000	1080000 2088000
31	चन्दौली-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 2340760	1080000 2340760
32	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2160000 3503980	2160000 3503980
33	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 4431100	1080000 4431100

34	कौशाम्बी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 1332000	1080000 1332000
35	श्रावस्ती-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 2235420	1080000 2235420
	योग	वर्तमान प्रगामी	45360000 179656470	45360000 179656470

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया चारकरोडतिरेपनलाखसाठहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया सत्रहकरोडछियानवेलाखछप्पनहजारचारसौसत्तर


(पूजाकरण)
१ वित्तएवंनेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-04/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MITHE JAL ME BIOFALAK TALAN NIRMAN FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
 महिलाभार्यो- 40 के0-36+रा0-24))

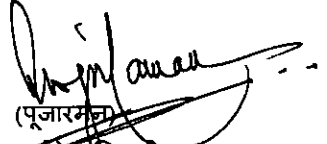
(धनराशि में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	4032000 7512000	4032000 7512000
2	मुज़फ्फरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2520000 3851740	2520000 3851740
3	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2520000 4824000	2520000 4824000
4	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1512000 4865900	1512000 4865900
5	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 1631430	504000 1631430
6	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1008000 3494420	1008000 3494420
7	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 5496000	1008000 5496000
8	पीलीभीत-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 1661940	504000 1661940
9	फर्रुखाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 960120	504000 960120
10	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2016000 2016000	2016000 2016000
11	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --25-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - कानपुरदेहात	वर्तमान प्रगामी	504000 3136070	504000 3136070
12	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1008000 3257280	1008000 3257280
13	जालौन-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 504000	504000 504000
14	बांदा -2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 1386000	1008000 1386000

15	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1512000 3373200	1512000 3373200
16	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	8064000 10728000	8064000 10728000
17	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1512000 4154400	1512000 4154400
18	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	4536000 11728720	4536000 11728720
19	आजमगढ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1008000 6463200	1008000 6463200
20	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	504000 3296120	504000 3296120
21	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	1512000 4488000	1512000 4488000
22	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 6807120	1008000 6807120
23	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1008000 4860000	1008000 4860000
24	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --07-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराजनगर	वर्तमान प्रगामी	504000 5042400	504000 5042400
25	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	8568000 14870900	8568000 14870900
26	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 3760200	1008000 3760200
27	सोनभद्र-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6552000 7632000	6552000 7632000
28	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2520000 6694560	2520000 6694560
29	महोबा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1512000 1512000	1512000 1512000
30	संतरविदासनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4536000 4609330	4536000 4609330
31	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	11088000 16441670	11088000 16441670
32	अम्बेदकरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 2088000	1008000 2088000
33	चन्दौली-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 2340760	504000 2340760
34	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1008000 4431100	1008000 4431100
35	श्रावस्ती-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 2235420	504000 2235420

	योग	वर्तमान प्रगामी	79128000 172154000	79128000 172154000
--	-----	--------------------	-----------------------	-----------------------

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया सातकरोडइकानवेलाखअठाईसहजार
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया सत्रहकरोडइक्कीसलाखचौवनहजार


(पूजारमन्त्र)
॥ वित्तसंकेतधिकारी

complete

Print Report

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MEDIUM SIZE RAS FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-
महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिः. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	540000 795020	540000 795020
2	बुलन्दशहर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	540000 4770960	540000 4770960
3	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	540000 6036000	540000 6036000
4	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	540000 3913200	540000 3913200
5	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 5054400	900000 5054400
6	हरदोई-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	540000 2429580	540000 2429580
7	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	540000 7531060	540000 7531060
8	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	540000 16981670	540000 16981670
	योग	वर्तमान प्रगामी	4680000 47511890	4680000 47511890

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया छियालीसलाखअस्सीहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया चारकरोड़पचहत्तरलाखग्यारहहजारआठसौनब्बे


(प्रचारमन्त्री)
वित्तप्रबंधनअधिकारी

complete

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

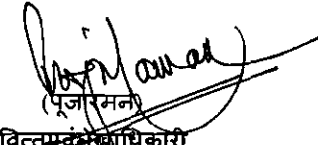
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-SMALL RAS BIOFALAK FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
 महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	378000 5202000	378000 5202000
2	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	270000 1065020	270000 1065020
3	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --20-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	270000 496800	270000 496800
4	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	378000 6929600	378000 6929600
5	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	108000 11836720	108000 11836720
6	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	648000 3944120	648000 3944120
7	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --05-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	108000 434090	108000 434090
8	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	324000 4084200	324000 4084200
	योग	वर्तमान प्रगामी	2484000 33992550	2484000 33992550

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया चौबीसलाखचौरासीहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया तीनकरोड़उनतालीसलाखबानवेहजारपाँचसौपचास


 (पूजाभरमन)
 वित्तप्रमुख अधिकारी

complete



Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

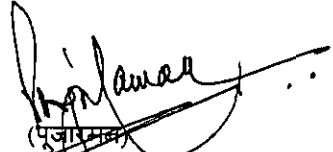
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-BACKYARD RAS FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
 महिलाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	महोबा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7000 1519000	7000 1519000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7000 1519000	7000 1519000

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया सातहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया पन्द्रहलाखउनीसहजार


 (पूजासमन्)
 वित्तियवर्षाधिकारी

complete

आवंटनदिनांक-05/08/2021

प्रेषणसंख्या:-	I
आवंटनआदेशसंख्या:-	001-REFEZATER VAN FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:-	17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
	101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
	01 -
	04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएसएमएसवाई0)- (के036/रा024-महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	720000 15590900	720000 15590900
	योग	वर्तमान प्रणामी	720000 15590900	720000 15590900

महायोग- (वर्तमानआवंटन):-	रुपया सातलाखबीसहजार
महायोग- (प्रगामीआवंटन):-	रुपया एककरोड़पचपनलाखनब्बेहजारनौसौ


(पूजा प्रसाद)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MOTE CYCLE WITH ICE BOX FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10800 4095000	10800 4095000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10800 4095000	10800 4095000

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया दसहजारआठसौ

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया चालीसलाखपंचानवेहजार


(पूजासुन्दर)
वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

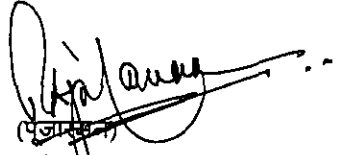
प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 002-CYCLE WITH ICE BOX FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिलाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --26-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सन्तकबीरनगर	वर्तमान प्रगामी	4000 4000	4000 4000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4000 4000	4000 4000

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया चारहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया चारहजार


(पूजासूक्त)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

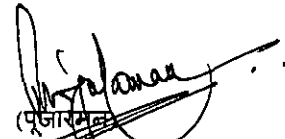
प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-LIVE FISH VENDING CENTER FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2160000 7362000	2160000 7362000
2	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 3977280	720000 3977280
3	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2880000 7934400	2880000 7934400
4	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	2880000 13216720	2880000 13216720
5	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1440000 5384120	1440000 5384120
6	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 17701670	720000 17701670
7	गौतमबुद्धनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
	योग	वर्तमान प्रगामी	11520000 56296190	11520000 56296190

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया एककरोड़पन्द्रहलाखबीसहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया पाँचकरोड़बासठलाखछियानवेहजारएकसौनब्बे


(पूजासमन्)
वित्तप्रमुख/अधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

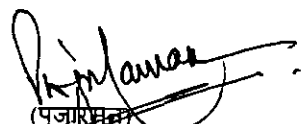
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-SMALL FEED MIL FEMALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
 महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	648000 5513900	648000 5513900
2	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	648000 6077600	648000 6077600
3	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1728000 3359430	1728000 3359430
4	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	648000 5184000	648000 5184000
5	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 4993200	1080000 4993200
6	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --11-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	1080000 1458000	1080000 1458000
7	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	648000 11376000	648000 11376000
8	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1080000 14296720	1080000 14296720
9	गाजियाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	648000 1026000	648000 1026000
10	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	648000 14738900	648000 14738900
11	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 5175000	1080000 5175000
12	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 5511100	1080000 5511100
	योग	वर्तमान प्रगामी	11016000 78709850	11016000 78709850

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया एककरोड़सलाखसोलहहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया सातकरोड़सत्तासीलाखनौहजारआठसौपचास


 (पूजाप्रमन)
 वित्तएवलेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

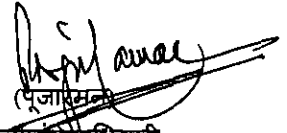
प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MATSYA KIYOSK FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	360000 7722000	360000 7722000
2	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	360000 1796400	360000 1796400
3	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	432000 4409280	432000 4409280
	योग	वर्तमान प्रगामी	1152000 13927680	1152000 13927680

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया ग्यारहलाखबावनहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया एककरोड़उनतालीसलाखसत्ताइसहजारछः सौअस्सी


(पूजासुन्दर)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-05/08/2021

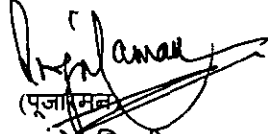
प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MOBILE LAB FEMALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
04 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिलालाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	756000 15052720	756000 15052720
	योग	वर्तमान प्रगामी	756000 15052720	756000 15052720

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया सातलाखछप्पनहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया एककरोड़पचासलाखबावनहजारसातसौबीस


(पूजासमन्)
वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

366/1609/15
30.7-2021

File No.17-1002(099)/3/2021- -1-

संख्या: 16/2021/796/17-1002(099)/3/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ०प्र० लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 28 जुलाई, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु पुनर्वेध केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष मात्र केन्द्रांश रु० 2440.1762 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-277/नि०शा०/,2021-22/16-19(6)दिनांक 14 जून,2021 एवं संशोधन प्रस्ताव दिनांक 01.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरुष एवं महिला) मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश (रु० 2731.00 लाख एवं रु० 2591.57 लाख) कुल रु० 5322.57 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त केन्द्रांश रु० 4539.31 लाख (पुनर्वेध धनराशि) के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या -17 में महिला वर्ग हेतु प्राविधानित बजट रु० 7759.75 लाख में से धनराशि रु० 4066.957 लाख (केन्द्रांश रु० 2440.1762 लाख+राज्यांश रु० 1626.7808 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अधिकांश कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सामान्य (पुरुष एवं महिला) मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश (रु० 2731.00 लाख एवं रु० 2591.57 लाख) कुल रु० 5322.57 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त केन्द्रांश रु० 4539.31 लाख को भारत सरकार के पत्रांक जे/1800/1/2017/ एफ०वाई०(ई-4611) दिनांक 04.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु पुनर्वेध कर दिया गया है। उक्त पुनर्वेध धनराशि में से सामान्य महिला वर्ग हेतु रु० 2552.6892 लाख (कुल का 56.35 प्रतिशत) के केन्द्रांश की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 में सामान्य (महिला) वर्ग हेतु रु० 7759.75 लाख की बजट धनराशि प्राविधानित की गयी है। अतः प्राविधानित बजट धनराशि में से पुनर्वेध केन्द्रांश धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश धनराशि रु० 2440.1762 लाख (रु० चौबीस करोड चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र) हेतु वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 17 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली और किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

तालिका

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	परियोजनाओं का नाम/ विशेष पोषण (के०36+रा०24+म०.ला०- 40,के.+रा.)	इकाई (हे०/सं०)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			अवमुक्त अवशेष पुनर्वित्त केन्द्रांश / धनराशि के सापेक्ष निर्गत निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि		अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फिनफिश हैचरियों की स्थापना	12	25.00	300.00	108.00	72.00	120.00	108.00	108.00	निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या
2	नये रियरिंग तालाबों का निर्माण	51	7.00	357.00	128.52	85.68	142.80	128.4016	128.4016	-
3	नये तालाबों का निर्माण	240 .376	7.00	1682.63	605.75	403.83	673.05	605.1200	605.1200	277/नि०शा०/ 2021-22/ 16-19(6) दि०
4	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण	10	8.00	80.00	28.80	19.20	32.00	8.6766	8.6766	14 जून, 2021 द्वारा उपलब्ध
5	खारे पानी में तालाबों में निवेश	10	6.00	60.00	21.60	14.40	24.00	21.60	21.60	कराये गये जमपददार
6	वृहद् आर०ए०एस०/ बायोफ्लाक का निर्माण	97	50.00	4850.00	1746.00	1164.0	1940.00	453.60	453.60	फांट/ संलग्नकों के अनुसार।
7	मीठे जल में बायोफ्लाक तालाबों का निर्माण	157	14.00	2198.00	791.28	527.52	879.20	791.28	791.28	
8	मध्यमाकार आर०ए०एस०/ बायोफ्लाक का निर्माण	30	25.00	750.00	270.00	180.00	300.00	46.80	46.80	
9	लघु आर०ए०एस०/ बायोफ्लाक का निर्माण	28	7.50	210.00	75.60	50.40	84.00	24.84	24.84	
10	बैकयाई लघु आर०ए० एस० का निर्माण	2	0.50	1.00	0.36	0.24	0.40	0.07	0.07	
11	इनसुलेटेड वाहन	4	20.00	80.00	28.80	19.20	32.00	7.20	7.20	
12	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स	2	0.75	1.50	0.54	0.36	0.60	0.108	0.108	
13	साइकिल विद आइस बाक्स	9	0.10	0.90	0.32	0.22	0.36	0.04	0.04	
14	जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र	16	20.00	320.00	115.20	76.80	128.00	115.20	115.20	
15	लघु मिलाई की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन/दिन)	46	30.00	1380.00	496.80	331.20	552.00	110.16	110.16	
16	मत्स्य कियोस्क की स्थापना	10	10.00	100.00	36.00	24.00	40.00	11.52	11.52	
17	मत्स्य रोग निदान हेतु मोबाइल लैब/ क्लीनिक	1	35.00	35.00	12.60	8.40	14.00	7.56	7.56	
	कुल योग							2440.1762	2440.1762	

(₹0 चौबीस करोड चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र)

- (1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3)

- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1/375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार द्वारा पुनर्वेध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा पुनर्वेध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप हैं।
- (4) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन /संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
- (5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (6) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (7) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (8) संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाये।
- (9) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- (12) मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (14) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4)

- (15) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

- 3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,-0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पीएमओ एमओ एसवाई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0),20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नाने डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- ई-490/दस-2021-22 दिनांक 23 जुलाई ,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
Signed by कृपा शंकर यादव
Date: 28-07-2021 10:45:14
(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या-16/2021/796(1) /17-1002(099)/3/2021 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन 30प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) 2020-21

एनेकजर-1

मत्स्य बीज हैचरी / 25.0 lacs/ unit

महिला लाभार्थी

क्रमांक	जनपद	संख्या	धनराशि/टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान		प्रथम किस्त के रूप में प्रस्तावित कुल अवमुक्त अनुदान (रु0 लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
2	आजमगढ़	2	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00	30.00
3	भऊ	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
4	देवरिया	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
5	अमेठी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
6	बाराबंकी	2	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00	30.00
7	बुलन्दशहर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
8	रामपुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
9	बिजनौर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
10	सहारनपुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00	15.00
	प्रदेश योग	12	300.00	180.00	108.00	72.00	108.00	72.00	180.00

18

00

18/5

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	रियरिंग तालाब निर्माण / Rs. 7.0 lacs/hectare					
		महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		क्षेत्रफल हे०	धनराशि/टी०पी० सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	3.350	23.450	14.0700	8.4420	5.6280	14.0700
2	फिरोजाबाद	0.400	2.800	1.6800	1.0080	0.6720	1.6800
3	मैनपुरी	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	8.4000
4	अलीगढ़	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	8.4000
5	हाथरस	3.000	21.000	12.6000	7.5600	5.0400	12.6000
6	कासगंज	0.750	5.250	3.1500	1.8900	1.2600	3.1500
7	आजमगढ़	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
8	प्रयागराज	3.000	21.000	12.6000	7.5600	5.0400	12.6000
9	महाराजगंज	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
10	कुशीनगर	6.000	42.000	25.2000	15.1200	10.0800	25.2000
11	चित्रकूट	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	8.4000
12	झोंसी	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
13	गोण्डा	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
14	बलरामपुर	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
15	अयोध्या	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
16	बरेली	0.558	3.906	2.3436	1.4062	0.9374	2.3436
17	बदायूँ	0.500	3.500	2.1000	1.2600	0.8400	2.1000
18	पीलीभीत	0.595	4.165	2.4990	1.4994	0.9996	2.4990
19	बुलन्दशहर	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
20	अमरोहा	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
21	रामपुर	4.000	28.000	16.8000	10.0800	6.7200	16.8000
22	बिजनौर	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	8.4000
23	सुभल	3.000	21.000	12.6000	7.5600	5.0400	12.6000
24	उन्नाव	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
25	सीतापुर	4.000	28.000	16.8000	10.0800	6.7200	16.8000
26	हरदोई	1.850	12.950	7.7700	4.6620	3.1080	7.7700
27	गाजीपुर	1.250	8.750	5.2500	3.1500	2.1000	5.2500
28	जौनपुर	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	4.2000
29	मुजफ्फरनगर	0.700	4.900	2.9400	1.7640	1.1760	2.9400
	प्रदेश योग	50.953	356.671	214.0026	128.4016	85.6010	214.0026

10

8

4/10

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	नये तालाब निर्माण @ Rs. 7.0lacs/hectare					
		महिला लामार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		क्षेत्रफल हे०	धनराशि/टी०पी०सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	10.823	75.761	45.4566	27.2740	18.18260	45.4566
2	फिरोजाबाद	1.950	13.650	8.1900	4.9140	3.27600	8.1900
3	अलीगढ	0.800	5.600	3.3600	2.0160	1.34400	3.3600
4	हाथरस	1.290	9.030	5.4180	3.2508	2.16720	5.4180
5	एटा	2.750	19.250	11.5500	6.9300	4.62000	11.5500
6	आजमगढ	1.600	11.200	6.7200	4.0320	2.68800	6.7200
7	मऊ	11.202	78.414	47.0484	28.2290	18.81940	47.0484
8	बलिया	0.800	5.600	3.3600	2.0160	1.34400	3.3600
9	प्रयागराज	2.700	18.900	11.3400	6.8040	4.53600	11.3400
10	कौशम्बी	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.68000	4.2000
11	फतेहपुर	2.412	16.884	10.1304	6.0782	4.05220	10.1304
12	प्रतापगढ	2.300	16.100	9.6600	5.7960	3.86400	9.6600
13	कानपुर नगर	2.800	19.600	11.7600	7.0560	4.70400	11.7600
14	कानपुरदेहात	6.159	43.113	25.8678	15.5206	10.34720	25.8678
15	औरैया	1.770	12.390	7.4340	4.4604	2.97360	7.4340
16	फरुखाबाद	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.68000	4.2000
17	कन्नौज	0.810	5.670	3.4020	2.0412	1.36080	3.4020
18	गोरखपुर	6.200	43.400	26.0400	15.6240	10.41600	26.0400
19	महाराजगंज	11.280	78.960	47.3760	28.4256	18.95040	47.3760
20	देवरिया	14.733	103.131	61.8786	37.1272	24.75140	61.8786
21	कुशीनगर	10.959	76.713	46.0278	27.6166	18.41120	46.0278
22	बाँदा	1.500	10.500	6.3000	3.7800	2.52000	6.3000
23	चित्रकूट	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.36000	8.4000
24	हमीरपुर	5.438	38.066	22.8396	13.7038	9.13580	22.8396
25	झाँसी	3.640	25.480	15.2880	9.1728	6.11520	15.2880
26	ललितपुर	6.800	47.600	28.5600	17.1360	11.42400	28.5600
27	गोण्डा	10.000	70.000	42.0000	25.2000	16.80000	42.0000
28	बलरामपुर	8.298	58.086	34.8516	20.9110	13.94060	34.8516
29	बहराइच	8.100	56.700	34.0200	20.4120	13.60800	34.0200
30	श्रावस्ती	2.585	18.095	10.8570	6.5142	4.34280	10.8570
31	अयोध्या	0.500	3.500	2.1000	1.2600	0.84000	2.1000

क्र०	जनपद	नये तालाब निर्माण @ Rs. 7.0lacs/hectare					
		महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		क्षेत्रफल हे०	घनराशि/टी०पी०सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	सुल्तानपुर	1.294	9.058	5.4348	3.2609	2.17390	5.4348
33	अमेठी	4.200	29.400	17.6400	10.5840	7.05600	17.6400
34	बाराबंकी	12.028	84.196	50.5176	30.3106	20.20700	50.5176
35	बरेली	5.023	35.161	21.0966	12.6580	8.43860	21.0966
36	शाहजहाँपुर	0.400	2.800	1.6800	1.0080	0.67200	1.6800
37	पीलीभीत	4.000	28.000	16.8000	10.0800	6.72000	16.8000
38	बस्ती	2.850	19.950	11.9700	7.1820	4.78800	11.9700
39	सिद्धार्थ नगर	0.322	2.254	1.3524	0.8114	0.54100	1.3524
40	मेरठ	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.36000	8.4000
41	हापुड़	0.900	6.300	3.7800	2.2680	1.51200	3.7800
42	बागपत	1.012	7.084	4.2504	2.5502	1.70020	4.2504
43	गाजियाबाद	1.500	10.500	6.3000	3.7800	2.52000	6.3000
44	बुलन्दशहर	1.980	13.860	8.3160	4.9896	3.32640	8.3160
45	मुरादाबाद	0.592	4.144	2.4864	1.4918	0.99460	2.4864
46	अमरोहा	0.416	2.912	1.7472	1.0483	0.69890	1.7472
47	रामपुर	1.790	12.530	7.5180	4.5108	3.00720	7.5180
48	बिजनौर	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.36000	8.4000
49	लखनऊ	3.937	27.559	16.5354	9.9212	6.61420	16.5354
50	उन्नाव	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.36000	8.4000
51	रायबरेली	5.151	36.057	21.6342	12.9805	8.65370	21.6342
52	सीतापुर	8.060	56.420	33.8520	20.3112	13.54080	33.8520
53	हरदोई	2.565	17.955	10.7730	6.4638	4.30920	10.7730
54	लखीमपुरखीरी	15.973	111.811	67.0866	40.2520	26.83460	67.0866
55	वाराणसी	3.100	21.700	13.0200	7.8120	5.20800	13.0200
56	चन्दौली	3.003	21.021	12.6126	7.5676	5.04500	12.6126
57	गाजीपुर	0.250	1.750	1.0500	0.6300	0.42000	1.0500
58	जौनपुर	3.873	27.111	16.2666	9.7600	6.50660	16.2666
59	मिर्जापुर	2.000	14.000	8.4000	5.0400	3.36000	8.4000
60	भदोही	0.291	2.037	1.2222	0.7333	0.48890	1.2222
61	मुजफ्फरनगर	2.350	16.450	9.8700	5.9220	3.94800	9.8700
62	शामली	1.068	7.476	4.4856	2.6914	1.79420	4.4856
	प्रदेश योग	240.127	1680.889	1008.5334	605.1200	403.4134	1008.5334

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020.21

खारे जल में नये तालाब निर्माण (रु0 8.00लाख/हे0)										
महिला लाभार्थी										
क्र0	जानपद	बी0एल0सी0 से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (बी0हे0)	2020-21 के लिये GOI से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (बी0हे0)	कुल प्रोजेक्ट लागत	2020.21 में आवंटित धनराशि	2020.21 में व्यय धनराशि	2021.22 में आवंटन हेतु अवशेष धनराशि	2021.22 में आवंटित की जाने वाली धनराशि		
								राज्यांश	केन्द्रांश	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मथुरा	8.019	7.809	62.471	37.483	27.696	9.7867	3.9147	5.8720	9.7867
2	अलीगढ़	0.500	0.487	3.895	2.337	0.000	2.3371	0.9348	1.4023	2.3371
4	एटा	0.500	0.487	3.895	2.337	0.000	2.3371	0.9348	1.4023	2.3371
	कुलयोग	9.019	8.783	70.262	42.157	27.696	14.4610	5.7844	8.6766	14.4610

प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धा योजना 2020.21

खारे जल में नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश (रु० 6.00 लाख/हे०)									
महिला लाभार्थी (कियाचयन वर्ष 2021-22)									
क्र०	जनपद	डी०एलसी० से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (ही०हे०)	2020-21 के लिये GOI से कुल स्वीकृत प्रस्ताव (ही०हे०)	कुल प्रोजेक्ट लागत	कुल अनुदान	निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति (रु० लाख में)			
						केन्द्राश	राज्यांश	कुल अनुदान (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	मथुरा	8.019	7.809	46.853	28.112	16.867	11.245	28.112	
3	अलीगढ	0.500	0.487	2.921	1.753	1.052	0.701	1.753	
4	हृष्यरस	1.250	1.217	7.304	4.382	2.629	1.753	4.382	
5	एटा	0.500	0.487	2.921	1.753	1.052	0.701	1.753	
	कुलयोग	10.269	10.000	60.000	36.000	21.600	14.400	36.000	

(Handwritten signatures and marks)

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टोपी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त अनुदान के साक्ष्य व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आगरा	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
2	किरोजाबाद	2	100.00	60.00	36.00	24.00	14.40	9.60	14.40	9.60	21.60	14.40	36.00
3	मथुरा	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
4	हथारस	2	100.00	60.00	36.00	24.00	14.40	9.60	14.40	9.60	21.60	14.40	36.00
5	मऊ	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
6	कौशाबी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
7	कानपुरदेहात	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
8	गोरखपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
9	महाराजगंज	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
10	देवरिया	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
11	कुशीनगर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
12	हमीरपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
13	झाँसी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
14	गोंडवा	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
15	बलरामपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
16	बहराइत	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
17	श्रावस्ती	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
18	अम्बेडकर नगर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
19	अमेठी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
20	बाराबंकी	2	100.00	60.00	36.00	24.00	14.40	9.60	14.40	9.60	21.60	14.40	36.00
21	बरेली	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
22	शाहजहाँपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
23	बस्ती	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
24	मेरठ	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
25	बुलन्दशहर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
26	बिजनौर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
27	लखनऊ	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
28	उन्नाव	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
29	रायबरेली	2	100.00	60.00	36.00	24.00	14.40	9.60	14.40	9.60	21.60	14.40	36.00
30	सीतापुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
31	बाराणसी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
32	चन्दौली	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
33	मिर्जापुर	2	100.00	60.00	36.00	24.00	14.40	9.60	14.40	9.60	21.60	14.40	36.00
34	सोनभद्र	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
35	सहारनपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	10.80	7.20	18.00
	योग	40	2000.00	1200.00	720.00	480.00	288.00	192.00	266.40	177.60	453.60	302.40	756.00

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	मीठे जल में बायो फ्लाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/hectare					
		महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		संख्या	घनराशि/टी०प १०सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
2	मथुरा	3.000	42.000	25.200	15.120	10.080	25.200
3	कासगंज	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
4	आजमगढ़	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
5	मऊ	17.000	238.000	142.800	85.680	57.120	142.800
6	कानपुर नगर	4.000	56.000	33.600	20.160	13.440	33.600
7	कानपुरदेहात	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
8	फर्रुखाबाद	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
9	गोरखपुर	3.000	42.000	25.200	15.120	10.080	25.200
10	महाराजगंज	5.000	70.000	42.000	25.200	16.800	42.000
11	देवरिया	9.000	126.000	75.600	45.360	30.240	75.600
12	कुशीनगर	22.000	308.000	184.800	110.880	73.920	184.800
13	बांदा	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
14	महोबा	3.000	42.000	25.200	15.120	10.080	25.200
15	झोंसी	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
16	जालौन	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
17	गोण्डा	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
18	बलरामपुर	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
19	श्रावस्ती	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
20	अम्बेडकर नगर	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
21	अमेठी	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
22	बरेली	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
23	पीलीभीत	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
24	मेरठ	5.000	70.000	42.000	25.200	16.800	42.000
25	बिजनौर	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
26	लखनऊ	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
27	उन्नाव	3.000	42.000	25.200	15.120	10.080	25.200
28	सीतापुर	2.000	28.000	16.800	10.080	6.720	16.800
29	वाराणसी	3.000	42.000	25.200	15.120	10.080	25.200
30	चन्दौली	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400





क्र०	जनपद	मीठे जल में वायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/hectare					
		महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		संख्या	घनराशि/टी०प १०सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
31	मिर्जापुर	16.000	224.000	134.400	80.640	53.760	134.400
32	सोनमद्र	13.000	182.000	109.200	65.520	43.680	109.200
33	मदोही	9.000	126.000	75.600	45.360	30.240	75.600
34	सहारनपुर	8.000	112.000	67.200	40.320	26.880	67.200
35	मुजफ्फरनगर	1.000	14.000	8.400	5.040	3.360	8.400
36	शामली	4.000	56.000	33.600	20.160	13.440	33.600
	प्रदेश योग	157.000	2198.000	1318.800	791.280	527.520	1318.800

(Handwritten signatures)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संवर्धन योजना (पीएमएमएसवाई0) 2020-21 Annexure-08

मत्स्याकार आर0एमएस0 / मत्स्याकार वायोफलाक / Rs. 25.0 lacs/unit

महिला लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गोरखपुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	0.00	0.00	9.00	6.00	15.00
2	कुशीनगर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40	5.40	3.60	9.00
3	बाराबंकी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40	5.40	3.60	9.00
4	बागपत	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40	5.40	3.60	9.00
5	बुलन्दशहर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40	5.40	3.60	9.00
6	बिजनौर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40	5.40	3.60	9.00
7	हरदोई	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40	5.40	3.60	9.00
8	वाराणसी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40	5.40	3.60	9.00
	योग	8	200.00	120.00	72.00	48.00	28.80	19.20	25.20	16.80	46.80	31.20	78.00

15

8

60

(प्रधानमंत्री भस्त्र संपदा योजना (पीएम0एम0एस0वार्ड0) 2020-21

Annexure-09

लघु आर0ए0एस0 वायोफलाक / Rs. 7.50 lacs/unit

महिला लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किरा के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किरा के रूप में कुल प्रस्तावित/अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किरा के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आगरा	2	15.00	9.00	5.40	3.60	1.62	1.08	3.78	2.52	6.30
2	फिरोजाबाद	3	22.50	13.50	8.10	5.40	4.86	3.24	3.24	2.16	5.40
3	देवरिया	1	7.50	4.50	2.70	1.80	1.62	1.08	1.08	0.72	1.80
4	सुल्तानपुर	1	7.50	4.50	2.70	1.80	1.62	1.08	1.08	0.72	1.80
5	मेरठ	2	15.00	9.00	5.40	3.60	1.62	1.08	3.78	2.52	6.30
6	हापुड़	1	7.50	4.50	2.70	1.80	0.00	0.00	2.70	1.80	4.50
7	बागपत	1	7.50	4.50	2.70	1.80	0.00	0.00	2.70	1.80	4.50
8	लखनऊ	3	22.50	13.50	8.10	5.40	1.62	1.08	6.48	4.32	10.80
	योग	14	105.00	63.00	37.80	25.20	12.96	8.64	24.84	16.56	41.40

✓

✓

✓

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएमएसवाई0) 2020-21

द्वैकयार्ड आर0ए0एस0 / Rs. 0.50 lacs/unit

महिला लाभार्थी

एनेकजर-10(संशोधित)

क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु. लाख में)		द्वितीय किशत के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु. लाख में)		द्वितीय किशत के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु. लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महोबा	1	0.50	0.30	0.18	0.12	0.00	0.00	0.07	0.05	0.12
	योग	1	0.50	0.30	0.18	0.12	0.00	0.00	0.07	0.05	0.12

Handwritten signature

Handwritten signature

मुख्य के सिंह
निदेशक मत्स्य, उ०प्र०

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21

Annexure-11

इन्सुलेटिड/रेफ्रीजरेटर वैन / Rs. 20.0 lacs/unit

महिला लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से				प्रथम किस्त के रूप में / अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	मऊ	1	20.00	12.00	7.20	4.80	0.00	0.00	7.20	4.80	12.00		
	योग	1	20.00	12.00	7.20	4.80	0.00	0.00	7.20	4.80	12.00		

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2020-21
मोटर साइकिल विध आइस वॉक्स / Rs. 0.75 lacs/unit

महिला लाभार्थी

Annexure-12

क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि / टोनीसी	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से			प्रथम किस्त के रूप में अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु. लाख में)			द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अनुदान (रु. लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अनुदान (रु. लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	फिरोजाबाद	1	0.75	0.45	0.27	0.18	0.16	0.11	0.108	0.072	0.180		
	प्रदेश योग	1	0.75	0.45	0.27	0.18	0.16	0.11	0.108	0.072	0.180		

✓

✓

✓

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2020-21
सॉर्टिकल विथ आइस बॉक्स / Rs. 0.10 lacs/unit

महिला लाभार्थी

Annexure - 13

क्रम	जानपद	संख्या	घनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किशत के रूप में अनुभूत अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु. लाख में)		द्वितीय किशत के रूप में कुल प्रस्तावित अनुभूत अनुदान (रु. लाख में)		द्वितीय किशत के रूप में कुल अनुदान (रु. लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	संतकबीर नगर	1	0.10	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.06
	योग	1	0.10	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.06

NA

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) 2020-21
लार्ज फिश वेनिडिंग सेन्टर / Rs. 20.00 lacs/unit

महिला लाभार्थी

एनेकजर-14

कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से				कुल अवमंका अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गोरखपुर	4	80.00	48.00	28.80	19.20	28.80	19.20	48.00
2	देवरिया	4	80.00	48.00	28.80	19.20	28.80	19.20	48.00
3	कुशीनगर	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	12.00
4	झाँसी	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	12.00
5	मेरठ	3	60.00	36.00	21.60	14.40	21.60	14.40	36.00
6	गौतमबुद्धनगर	1	20.00	12.00	7.20	4.80	7.20	4.80	12.00
7	लखनऊ	2	40.00	24.00	14.40	9.60	14.40	9.60	24.00
	प्रदेश योग	16	320.00	192.00	115.20	76.80	115.20	76.80	192.00

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) वर्ष 2020-21
लघु फीड मिल / Rs. 30.0 lacs/unit

महिला लाभार्थी

Annexure-15

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टीपीसीसी	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से				प्रथम किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु. लाख में)		प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु. लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु. लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु. लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	आगरा	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88	6.48	4.32	10.80		
2	फिरोजाबाद	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	0.00	0.00	10.80	7.20	18.00		
3	मथुरा	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88	6.48	4.32	10.80		
4	एटा	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	0.00	0.00	10.80	7.20	18.00		
5	कासगंज	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88	6.48	4.32	10.80		
6	मऊ	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88	6.48	4.32	10.80		
7	देवरिया	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	0.00	0.00	10.80	7.20	18.00		
8	बलरामपुर	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	0.00	0.00	10.80	7.20	18.00		
9	गाजियाबाद	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88	6.48	4.32	10.80		
10	बिजनौर	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88	6.48	4.32	10.80		
11	वाराणसी	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	0.00	0.00	10.80	7.20	18.00		
12	गाजीपुर	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	0.00	0.00	10.80	7.20	18.00		
13	मिर्जापुर	1	30.00	18.00	10.80	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88	6.48	4.32	10.80		
	प्रदेश योग	13	390.00	234.00	140.40	93.60	56.16	37.44	30.24	20.16	110.16	73.44	183.60		

(Handwritten signatures and marks)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसबी) 2020-21)

क्रमांक	जनपद	कियोस्क / Rs. 10.00 lacs/unit										Annexure - 16		
		महिला लाभार्थी										द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		
		संख्या	घनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)							
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	द्वितीय किस्त के रूप में कुल अनुदान (रु लाख में)		
1	प्रयागराज	1	10.00	6.00	3.60	2.40	0.00	0.00	3.60	2.40	6.00			
2	झाँसी	3	30.00	18.00	10.80	7.20	6.48	4.32	4.32	2.88	7.20			
3	भरत	1	10.00	6.00	3.60	2.40	0.00	0.00	3.60	2.40	6.00			
	प्रदेश योग	5	50.00	30.00	18.00	12.00	6.48	4.32	11.52	7.68	19.20			

18

18

18

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21)

एनेकजर-17

मोबाइल नंबर / Rs. 35.00 lacs/unit

महिला लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	देवरिया	1	35.00	21.00	12.60	8.40	5.04	3.36	5.04	3.36	7.56	5.04	12.60

५५

५५

५५